न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 188/2016

सत्य नारायण दतक पुत्रश्री मांगीलाल जाति पुरोहित (पारीक) आयु 60 साल निवासी दलतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी

ब ना म

1. भू प्रबन्ध अधिकारी, सीकर
2. तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये जिला जिला कलेक्टर, सीकर

–प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से

दावा बाबत अं.धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं
स्थायी निषेधाज्ञा व उद्घोषणा

निर्णय दिनांक– 28.08.2017

1. वाद के संक्षित में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि नये खसरा नं0 133, 134, 135 जिसके पुराने खसरा नं0 55 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 57 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 58 रकबा 9 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त पुराने खसरा नंबर एवं नये खसरा नम्बरों की कुल भूमि 10 बीघा 9 बिस्वा का एकमात्र खातेदार एवं काश्तकार वादी है तथा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर वादी ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमियों का सैटिलमेंट करवाया गया, उक्त सैटिलमेंट विभाग, सीकर द्वारा तहसील दांतारामगढ की कृषि भूमियों का सैटिलमेंट किया गया। उक्त सैटिलमेंट विभाग द्वारा तहसील दांतारामगढ की कृषि भूमियों का सैटिलमेंट किया गया। उक्त सैटिलमेंट के राजस्व कर्मचारियों ने अन्य पड़ौसी काश्तकारों को फायदा देने की गरज से या सहवन से वादी की पुराने खसरा नंबरों 55, 57, 58 की भूमियां नये खसरा नम्बर 133, 134, 135 डाले गये परन्तु उनका रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा जो है0 बनाये गये थे, 1.47 है0 ही दर्ज कर दिया जबकि 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि के 2.64 है. होता है तथा नक्शे में भी उक्त भूमि जो पुराने खसरा नम्बर की नक्शा ट्रेस में भी कम कर दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा की गई गलती से वादी को काफी आर्थिक व सांपतिक नुकसान हो रहा है। अगर प्रतिवादीगण द्वारा की गई गलती को नहीं सुधारा जाता है कि वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा इस

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

कारण यह दावा बाबत उद्घोषणा किये जाने संशोधन का लाया जाना लाजिम आया है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये हाल ही सैटिलमेंट में जान बुझकर या सहवन सं की गई गलती की आड़ में वादी जो कि रिकार्डेड 2.64 है. पुराने हिसाब से 10 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार था जिसको प्रतिवादीगण ने नये नम्बरों सहित 1.47 है. ही कर दिया तथा नक्शा ट्रेश में भी कम कर दिया। अगर प्रतिवादीगण द्वारा की गई त्रुटि की आड़ में अनुचित, अनाधिकृत कार्यवाही में वादी को बेदखल करता है तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा वादी के आर्थिक व सांपतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ यह दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का लाया जाना लाजिम आया है। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि में हुई गलती को सुधारने बाबत कई बार निवेदन किया गया परन्तु केवल आश्वासन ही मिलता रहा है तथा अभी दिनांक 06.12.2016 को तहसीलदार जी ने कहा कि आप की हुई गलती को सुधारने हेतु माननीय न्यायालय का निर्णय लेकर आवो, इस कारण से यह वाद सावधि पेश है। विवादित कृषि भूमियों माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से वाद सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड संशोधन व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी बहक प्रतिवादीगण उद्घोषणा किये जाने राजस्व रिकार्ड संशोधन इस कदर की फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में वादी रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है उसके नये 2.64 है. का खातेदार काश्तकार एवं पुराने नक्शे के अनुसार नये राजस्व नक्शे में उद्घोषणा कराने का अधिकारी होने से उद्घोषणा, रिकार्ड संशोधन की डिक्री फरमायी जानी प्रार्थनीय है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की इस कदर की फरमाई जावें कि वादी के खातेदारी काश्तकारी पुराने हिस्से से 10 बीघा 9 बिस्वा एवं नये हैक्टरमें 2.64 कब्जे काश्त में होने एवं पुराने नक्शा ट्रेश के अनुसार कब्जे काश्त से प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करने हेतु मय नौकर, एजेंट, प्रतिनिधि को स्थायी रूप से पाबंद किया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बावजूद तामील असालतन/चश्पांदगी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ ने पत्रांक भूअ/17/1798 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार, दांतारामगढ ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया है कि ग्राम मोटलावास के नये ख.नं. 133, 134, 135 की जांच की गई। पुराना ख.नं. 55 रकबा 2 बीघा 18 के नये ख.नं. 133 रकबा 0.21 है0 बना है तथा पुराना ख.नं. 57 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा व ख.नं. 58 रकबा 9 बिस्वा का नया ख.नं. 135 रकबा 1.21 है0 बना है। पुराना ख.नं. 55, 57, 58 का रकबा मुताबिक नये ख.नं. 133 व 135 का रकबा सही नहीं है। पुराने के बजाय

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

नये खसरा नं0 का रकबा 1.22 है. कम किया है। पुराने ख.नं. के नक्शे व नये नक्शा का मिलान करने पर पुराने ख.नं. 57 रकबा 7 बीघा रकबा 2 बिस्वा का नया ख.नं. 134 रकबा 0.05 है0 बनाया है जबकि मिलान क्षेत्रफल में नये खसरा नं. 134 रकबा 0.05 है. का पुराना ख.नं. 57 रकबा 9 बिस्वा दर्शाया गया है जबकि पुराने ख.नं. 57 का रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा है। अतः पुराने ख.नं. का नक्शा नये ख.नं. का नक्शा व रकबा का मिलान करने पर ख.नं. में ख.नं. 135, 133, 130 के पश्चिम में जरीब लाईन को ग्राम की सीमा कर दिया गया है जो पुराने नक्शे से मिलान करने पर गलत है। मौके पर ख.नं. 133, 134, 135 पुराने नक्शे के अनुसार है। पुराना ख.नं. 56 रकबा 9 बिस्वा का नया ख.नं. 134 रकबा 0.05 है. बना है जिसको नये नक्शे में नहीं दर्शाया गया है यह ख.नं0 जरीब रेखा से पश्चिम में है। अतः नये ख.नं. 133 रबा 0.73 है0, 135 रकबा 1.31 है0 किया जाना व नये नक्शा को मौका व पुराने नक्शे अनुसार किया जाना उचित है।

3. हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी वादी की पुराने खसरा नंबरों 55, 57, 58 की भूमियां नये खसरा नम्बर 133, 134, 135 डाले गये परन्तु उनका रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा का नया रकबा जो है0 बनाये गये थे, 1.47 है0 ही दर्ज कर दिया जबकि 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि के 2.64 है. होता है तथा नक्शे में भी उक्त भूमि जो पुराने खसरा नम्बर की नक्शा ट्रेस में भी कम कर दी गई।
4. हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार, दांतारागढ जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम मोटलावास के नये ख. नं. 133 रकबा 0.73 है0 व ख.नं. 135 रकबा 1.91 है0 किया जाना व नक्शे नये को मौका व पुराने नक्शे के अनुसार किये जाने का निवेदन किया है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नये ख.नं. 133 रकबा 0.73 है0 व ख.नं. 135 रकबा 1.91 है0 किया जाना व नक्शे नये को मौका व पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में अमल दरामद हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
5. यह आदेश आज दिनांक 28.08.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner